

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमावदी रद्द अभिलेख क्रम सं०-183/2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधि. 1950 की धारा 4(1) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

19/11/16

आरखंड सरकार के आणक-2374/20, दिनांक 13.06.2016 सङ्गठित श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, सू-अर्जन-सह-विरोध सचिव राजार, एवं भूमि सुधार विभाग के फा 20-3-खण्ड 40/निति-119/85/2338/20, दिनांक 28.09.1995 एवं सह-वर्तित राजार विभागीय नारेमत्र 20-94/20 दिनांक 09.12.1998 में निहित विवाद के अनुपालन में गैरजल्दख खास भूमि की कायम की गयी जमावदियों को जांच प्रारम्भ की गई। जांच क क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नलिखित विवरणी भूमि :-

पंजा. कौरवरा थाना नं० 42 ज. सं. 438 धारा सं० 138 खंड सं० 0.50 एकड़ भूमि जो गैरजल्दख खास, धनबाद बिहार (आरखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमावदी उक्त माल के पंजी-11 पर जमावदी रद्द महूर गौमी, पुरा कौरवरा नाम से कायम है।

भूमि तालिका सं. पंजा  
19/11/16  
26/11/16

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचप्रारम्भ उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध जायम जमावदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा संपूर्ण जांच प्रक्रिया से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावदी बिना सक्षम एकाधिकारी के आदेश के/अथवा कर्मचारी के आदेश पर/अथवा कोडकर कर्मचारी के आदेश पर/अथवा जमान निरीक्षण के आदेश पर/सहाय हुकुमनामा के आदेश पर कायम की गई है, जिसका उल्लंघन भोजी जमान एवं राजार के अति कर्मित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की संपत्ति जमावदी अर्थात् प्रतीत होती है जिसका बिहार (आरखंड) भूमि सुधार अधि. 1950 की धारा 4(1) के तहत जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमावदी रद्द को नोटिस निगरान कर उपर्युक्त मु-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/निर्गत सगल रसीद की मांग करें तथा उनका मालम मु-खण्ड कर कि उक्त उक्त जमावदी को अर्थात् गणने हुए बिहार (आरखंड) भूमि सुधार अधि. 1950 की धारा 4(1) के तहत सक्षम अधिकारी को रद्द करने हेतु अनुसूचित किया जाय।

अभिलेख दिनांक \_\_\_\_\_ को उपस्थित करें।

लेखापित एवं सशोधित

अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

19/11/16

अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

0. 1924 /

8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। भोटिश दामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत/रैयत के वंशज न्यायालय में अनुपस्थित। उनके अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है, कि उनके पास उपरोक्त भूमि से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।

0/16  
अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

आद अमेलेख संख्या-

103

अवल अमेलेख संख्या- 103/2016/अन/...  
... 103/2016/अन/...  
... 103/2016/अन/...

संख्या

बनाम

महल मांजरी रूठ जांतरा

रूप कर आपकी सूचित किया जाता है कि मांजरी जांतरा खाल नं- 138 खसरा नं- ...  
... 0.50 एकड़ ...  
... 1/8/16 ...

अतएव जीए उक्त संवध में विना- 1/8/16 ...  
भूमि का रेटर्न-1 भूमि बंधनपत्ती से संबंधित ...  
रसीद का र्कम M एवं सरकार में खरीदारी ...  
रसीद भेजने परवाना एवं अन्य होल नकल ...  
भूमि पर दाये को सुष्टि करता है कि साथ ...  
होकर अपना रक प्रस्तुत करे।

नमद रहे कि अन्वधा कि स्थिति में ...  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज ...  
दले जमावदी के संका में सुविधा-सुवत ...  
इसे साख्त लाकीज जान।

दिनांक- मुबार  
स्थान-

मांजरी  
21/7/16

Shiril Manjli

26.07.2016  
मांजरी तालिमा ...  
- लीजेंद्र प्रयु मयग मेल